

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**अधिसूचना**

अधिसूचना :- 2 / अप्र० ४-१६८ / २०१५

२६६७

/ पटना, दिनांक : - २१/१२/२३

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7532 दिनांक 18.12.2015 द्वारा पथ प्रमंडल, नवादा के अधीन पथ प्रशाखा सिरदल्ला के गोदाम में लंबी अवधि से पड़े अनुपयुक्त/अवशेष बिटुमिनस (11.03 मिट्रीक टन) का नियमानुसार निष्पादन नहीं करने तथा इस कारण रु 1,41,781/- वित्तीय क्षति होने संबंधी मामले में श्री रामसागर चौधरी, तदेन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत् एवं श्री अनिल कुमार सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु वांछित अभिलेख ग्रामीण कार्य विभाग को भेजी गयी।

2. उक्त के आलोक में श्री चौधरी एवं श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र—'क' गठित कर इनसे विभागीय पत्रांक 1664 अनु० दिनांक 20.05.2016 स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. श्री चौधरी एवं श्री सिन्हा के द्वारा क्रमशः पत्रांक 1635 दिनांक 30.12.2016 एवं पत्रांक 348 दिनांक 08.03.2017 माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा मुख्य अभियंता—१ से करायी गयी। समीक्षा में निम्नांकित तथ्य पाये गये:—

(i) पथ प्रमंडल, नवादा के अधीन पथ निर्माण कार्य हेतु न्यू कैपिटल डिवीजन पटना से कुल 165.594 MT बिटुमिन प्राप्त किया गया, जिसमें दिनांक 08.02.2006 तक 154.564 MT बिटुमिन निर्गत किया गया। अवशेष बचा 11.03 MT बिटुमिन लंबी अवधि तक गोदाम में रखा गया। नक्सल योजना बंद हो जाने के कारण मुख्य अभियंता दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 646 दिनांक 25.02.2008 द्वारा अलकतरा (बिटुमिन) को योजना मद में खर्च करने अथवा TEO के माध्यम से अलकतरा के समतुल्य राशि को योजना में हस्तांतरण करने का निदेश निर्गत किया गया था।

(ii) इस अवधि में पथ प्रमंडल, नवादा में तीन कार्यपालक अभियंता यथा श्री राम सागर चौधरी, RCD संवर्ग का अभियंता एवं श्री अनिल कुमार सिन्हा क्रमशः दिनांक 20.01.2002 से 14.02.2007, दिनांक 15.02.2007 से 21.05.2009 एवं दिनांक 22.05.2009 से 28.06.2012 तक पदस्थापित थे।

(iii) मुख्य अभियंता दक्षिण बिहार (या०) उपभाग द्वारा दिनांक 25.02.2008 को दिये गये निदेश के बावजूद RCD संवर्ग के कार्यपालक अभियंता द्वारा करीब एक वर्ष ३ माह तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। दिनांक 22.05.2009 को श्री अनिल कुमार सिन्हा द्वारा पथ प्रमंडल, नवादा के कार्यपालक अभियंता रूप में प्रभार ग्रहण किया गया परंतु इनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। फलस्वरूप गोदाम में रखा बिटुमिन खराब हो गया।

(iv) गोदाम में रखे बिटुमिन खराब होने एवं बिटुमिन का ससमय उपयोग में नहीं लाये जाने के कारण ₹0 1,41,718/-रूपये का वित्तीय क्षति के लिये पथ निर्माण विभाग के संवर्ग के कार्यपालक अभियंता एवं श्री अनिल कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता को समान रूप से दोषी माना गया।

4. तत्पश्चात् प्रश्नगत मामले में वित्तीय क्षति की वसूली के संदर्भ में मामले की जाँच विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा की गयी। कमिटी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में अप्रयुक्त विटुमेन जो 2008 से पड़ा हुआ था जिसके कारण हुए तत्कालीन वित्तीय क्षति को आधार बनाकर Compound interest जो भारत सरकार के Bond.13 अनुरूप 6.73 आता है की गणना अनुसार अद्यतन वित्तीय क्षति Rs. 3,30,523.65 होने का मतव्य दिया गया।

5. मुख्य अभियंता—1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी समीक्षा के आधार पर आदेश सं0-1508 दिनांक 12.09.2022 द्वारा श्री राम सागर चौधरी, तदेन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप से मुक्त किया गया तथा विभागीय पत्रांक 1496 दिनांक 12.09.2022 द्वारा पथ निर्माण विभाग से RCD संवर्ग के कार्यपालक अभियंता से आधी राशि की वसूली की कार्रवाई करने के संबंध में अनुरोध किया गया।

6. साथ ही जाँच कमिटी के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 1507 दिनांक 12.09.2022 द्वारा श्री अनिल कुमार सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता से इस बिन्दु पर कारण पृच्छा की गयी कि क्यों नहीं मामले में उनसे अद्यतन वित्तीय क्षति ₹0-3,30,523.65/- की आधी राशि ₹0 1,65,261.82/- की वसूली की गयी।

7. श्री अनिल कुमार सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता के द्वारा कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर दिनांक 23.06.2023 समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि मुख्य अभियंता (या०), पथ निर्माण विभाग, दक्षिण बिहार उपभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 646 दिनांक 25.02.2008 द्वारा उक्त विटुमेन निष्पादन हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त होने के बाबजूद भी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा एक साल तीन माह तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। फलतः पैकट विटुमेन इम क्षतिग्रस्त होकर विटुमेन जमीन पर बह गया एवं खराब हो गया। दिनांक 22.05.2009 को उनके द्वारा पथ प्रमंडल, नवादा का प्रभार लिए जाने तक काफी लम्बी अवधि (1 साल 3 माह) बीत जाने एवं क्षतिग्रस्त इम से विटुमेन जमीन पर बह जाने के कारण विटुमेन पहले ही खराब हो चुका था। अतः विटुमेन खराब होने के संबंध में उनका कोई दोष नहीं है।

82 ✓

8. श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त मामले में मुख्य अभियंता—1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा उक्त कंडिका—3 में दिये गये मतव्य के के आलोक में श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए उनसे उक्त राशि ₹0 1,65,261.82/- की वसूली किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त किया गया।

9. उक्त के आलोक में श्री अनिल कुमार सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:—

(i) ₹0 1,65,261.82/- (एक लाख पैंसठ हजार दो सौ एकसठ रुपया एवं बेरासी पैसे) की वसूली।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15/12/2023

(संजय दूबे)  
विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0-4-168/2015 2668 /पटना, दिनांक :— 21/12/2023

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

15/12/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0-4-168/2015 2668 /पटना, दिनांक :— 21/12/2023

प्रतिलिपि :— महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषांग पदाधिकारी, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/2023

विशेष सचिव

१५/०५/२०२३

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0-4-168/2015 2668 /पटना, दिनांक :— २१/१२/२३

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत/प्रशाखा पदाधिकारी-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री अनिल कुमार सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना। पत्राचार का पता:—मो-के0-30 पी0सी0 कॉलोनी, कंकड़बाग, थाना—पत्रकारनगर, जिला—पटना, राज्य—बिहार, पिनकोड़—800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५/०५/२०२३

विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0-4-168/2015 2668 /पटना, दिनांक :— २१/१२/२३

प्रतिलिपि :— माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

१५/०५/२०२३

विशेष सचिव